333
1/8/16

सेवा में,

श्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी/निदेशक
कार्यालय- राष्ट्रीय शर्करा संस्था कल्याणपुर कानपुर (उ0प्र0)

विषय–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत प्रथम अपील

महोदय,

प्रार्थी ने अपने आरटीआई आवेदन दिनांक 4.6.2016 द्वारा राष्ट्रीय शर्करा संस्था कल्याणपुर कानपुर द्वारा चार विन्दुओं पर सूचनाऐं मागी थी जिसकी छायाप्रति कापी संलग्नक (1) के रुप में संलग्न है जिके प्रत्युत्तर में राष्ट्रीय शर्करा संस्था के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री राकेश शुक्ला के पत्र दिनांक 6.7.2016 जिसकी छायाप्रति संलग्नक (2) के रुप में संलग्न है ।

परन्तु श्री राकेश शुक्ला केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना संलग्नक (2) निम्नलिखित कारणों से भ्रामक एवं असत्य है

(1) प्रार्थी के आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 1,2,3,4 द्वारा मांगी गई सूचना का जबाब परस्पर बिरोधी एवं भ्रामक रुप से दिया गया है।

(2) बिन्दु संख्या 2 के जबाब में यह नही बताया गया है कि अच्छेलाल यादव के विरुद्ध कूट रचना करने के आरोप में विभाग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यो नही दर्ज कराई गई ।

(3) विन्दु संख्या 4 में यह नही बताया गया कि अच्छेलाल यादव के विरुद्ध जांच में बिलम्ब क्यो किया जा रहा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है ।

अस्तु इस प्रथम अपील के माध्यम से निवेदन किया जाता है प्रार्थी द्वारा मागी सूचना सही सटीक व तथ्यपरक ढंग उपलब्ध कराई जाय ।

प्रार्थी- Rajeev Dubey 22/07/16
राजीव दूबे पुत्र श्री ध्यानचन्द्र दूबे
ग्राम गोपीनाथपुर
पोस्ट बरुआ उत्तरी
जिला सुलतानपुर
मो. 9838275715

705
01.8.16

संलग्नक (1) → क

To whom paid Hideshak M.S.J. KANPUR
किस डाकघर में
At what Office
क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed YES
भेजने की तारीख
Date sent 4/07/16
33F 672252

[illegible]

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि [illegible]

[illegible]

Rajeev Dubey
22/07/16

Rajeev Dubey

संलग्नक - (02) → दो

स्पीड पोस्ट

फाइल संख्या- 25(52)/2015/RTI

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

एक आई0एस0ओ0 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

(भारत सरकार)

दूरभाष : (0512) 2570541, 2570543

फैक्स : (0512) 2570247

कानपुर, दि0: 06.07.2016

सेवा में,

श्री राजीव दुबे पुत्र श्री ध्यानचंद्र दुबे,
ग्राम--गोपीनाथपुर।
पो0--बरूआ उत्तरी,
जनपद--सुल्तानपुर (उ0 प्र)

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के संदर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 04.06.2016 को मांगी गयी सूचना निम्नवत है:--

1. आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न बिन्दु सं0 1, 2 एवं 4 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि जॉच कर रहे सक्षम अधिकारी का यह कर्तव्य नही होता कि ऐसी जानकारी प्राप्त करें जिससे कि निष्कर्ष एवं अनुमान निकालने की धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता होगी।

2. इसी प्रकार बिन्दु सं0 3 के संदर्भ में यह सूचित किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध जॉच की समय सीमा का निर्धारण जॉच कर रही समिति द्वारा नही किया जाता है। जॉच अन्य चीजों के अलावा प्रिन्सिपल ऑफ नेचूरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त) पर आधारित रहता है, साधारणतयः जॉच अधिकारी को नियुक्ति के आदेश प्राप्ति के 06 माह के अन्दर रिपोर्ट देनी होती है एवं समय-सीमा के विलम्ब की स्थिति में वह अनुशासनिक प्राधिकारी को कारण बताना होता है।

उपरोक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सेक्शन 5(4) के अनुसार दी जा रही है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त मांगी गई जानकारी से संतुष्ट नही है तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते है:--

श्री नरेंद्र मोहन,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
कानपुर--208017

Rajeev Dubey
22/07/16

भवदीय

(राकेश शुक्ला)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

सं.-25(52)/2016/RTI/09

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित संस्थान
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
भारत सरकार

फोन- 2570541, 542
फैक्स- 0512-2570247

कानपुर,
दिनांक- 29.8.2016

सेवा में,

श्री राजीव दुबे सुत श्री ध्यानचंद्र दुबे,
निवासी ग्राम-गोपीनाथपुर,
पो.आ.- बरूआ उत्तरी,
जनपद-सुल्तानपुर (उ.प्र.)

जारी
संख्या ...97...
दिनांक 01-9-...

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री राजीवदुबे द्वारा प्रथम अपील में मांगी गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

आपके द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दिए गए दिनांक 04.6.2016 के आवेदन से सम्बंधित दिनांक 27.7.2016 की प्रथम अपील जो संस्थान में दिनांक 01.8.2016 को प्राप्त हुई है, के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि संस्थान के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 6.7.2016 को जिस स्थिति तक सूचना दी जा सकती थी आपको उपलब्ध करा दी गई थी। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा उठाये गए बिन्दुओ के सन्दर्भ में पुनः सूचित किया जाता है की जनसूचना अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं होता कि ऐसी जानकारी प्राप्त करे जिससे कि निष्कर्ष एवं अनुमान निकालने की धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता होगी। अतः मैं CPIO के निर्णय से सहमत हूँ।

यदि आप इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं तो आप दूसरी अपील इस निर्णय की तिथि या इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर निम्न पते पर केंद्रीय सूचना आयोग में कर सकते हैं-

केंद्रीय सूचना आयोग,
कमरा न. -326, द्वितीय तल,
अगस्त क्रांति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली -110066

भवदीय

(नरेंद्र मोहन)
निदेशक एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी